



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3569]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 2017/पौष 7, 1939

No. 3569]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2017/PAUSHA 7, 1939

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4083(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का० आ० संख्या 3648 (अ) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

तालिका में,

- उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में, उत्तर प्रदेश के नीचे, क्रम संख्या 7 के बाद संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्,-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"8	राजकीय सार्वजनिक परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ पंजी०सं० 50/एन/एफएसएसएआई/2017 सैक्टर-सी, चेतन विहार, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	रसायनिक"।

- दक्षिण क्षेत्र से संबंधित 'ग' में,

(क) आन्ध्र प्रदेश के नीचे, क्रम संख्या 3 के बाद संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्,-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"4	विमटा लेब्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम पंजी०सं० 52/एस/एफएसएसएआई/2017 संख्या 9-13-45/2-9-3, तीसरा तल, एन सर्किल, वीआईपी रोड, विशाखापट्टनम-530003, आन्ध्र प्रदेश	रसायनिक, जैविक";

(ख) केरल के नीचे,-

(i) कॉलम (1) में क्रम संख्या 7 और कॉलमों (2) और (3) की संबंधित प्रविष्टियों की जगह निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्,-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“7	सीईपीसीआई प्रयोगशाला एवं अनुसंधान संस्थान, कोल्लम पंजी०सं० 34/एस/एफएसएसएआई/2016 काजू भवन, मुंडक्कल, कोलाम-691001, केरल	रसायनिक, जैविक”;

(ii) क्रम संख्या 9 के बाद संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएंगी, अर्थात्,-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“10	राजकीय परीक्षण प्रयोगशाला, थिरुवनंतपुरम पंजी०सं० 53/एस/एफएसएसएआई/2017 रेड क्रॉस रोड, वेंचीयूर, पो.ऑ. थिरुवनंतपुरम - केरल	रसायनिक
11	क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, एर्नाकुलम पंजी०सं० 54/एस /एफएसएसएआई/2017 कक्कानाड, एर्नाकुलम, केरला	रसायनिक
12	क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, कोझीकोड पंजी०सं० 55/एस /एफएसएसएआई/2017 मलपरम्बा, कोझीकोड	रसायनिक”।

[फा. सं. 12012/01/2017-क्यू.ए.]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का०आ० 3648(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में उसका निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन हुआ था:-

- (i) का०आ० 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- (ii) का०आ० 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
- (iii) का०आ० 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;
- (iv) का०आ० 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
- (v) का०आ० 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017; और
- (vi) का०आ० 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA]

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2017

S.O. 4083(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely:—

In the table,

1. in 'A' related to **NORTHERN REGION**, under *Uttar Pradesh*, after serial number 7, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"8	Government Public Analyst Laboratory, Lucknow Reg. No. 50/N/FSSAI/2017 Sector – C, Chetan Vihar, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh	Chemical".

2. in 'C' related to **SOUTHERN REGION**,

(a) under Andhra Pradesh, after serial number 3, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"4	Vimta Labs Limited., Visakhapatnam Reg. No. 52/S/FSSAI/2017 No. 9-13-45/2-9-3, 3 rd Floor, N Circle, VIP Road, Visakhapatnam – 530003, Andhra Pradesh	Chemical Biological";

(b) under Kerala,-

- (i) for serial number 7 in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be substituted, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"7	CEPCI Laboratory & Research Institute, Kollam Reg. No. 34/S/FSSAI/2016 Cashew Bhawan, Mundakkal, Kollam-691001, Kerala	Chemical Biological";

- (ii) after serial number 9, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"10	Govt. Analyst's Laboratory, Thiruvananthapuram Reg. No. 53/S/FSSAI/2017 Red Cross Road, Vanchiyoor P.O., Thiruvananthapuram - Kerala	Chemical
11	Regional Analytical Laboratory, Ernakulam Reg. No. 54/S/FSSAI/2017 Kakkanad, Ernakulam, Kerala	Chemical
12	Regional Analytical Laboratory, Kozhikode Reg. No. 55/S/FSSAI/2017 Malaparamba, Kozhikode	Chemical".

[F. No. 12012/01/2017-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended *vide*:-

- (i) S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017;
- (ii) S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017;
- (iii) S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017;
- (iv) S.O. number 2316 (E), dated the 24th July, 2017;
- (v) S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017; and
- (vi) S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017.